श्री धर्मेंद्र प्रधानः सभापति जी, माननीय सदस्य ने दो सप्लिमेंट्रीज़ पूछी हैं, लेकिन उचित होगा कि आपकी अनुमति से मैं इनके दोनों प्रश्नों का उत्तर दूं।

सभापति जी, एक तो माननीय सदस्य ने कंज़र्वेशन के बारे में पूछा है कि स्टार रेटिंग क्या है और किस प्रकार इसका निर्णय किया जाता है। कंज़र्वेशन के लिए एक रास्ता यह निकाला गया है कि अगर चूल्हे, डीज़ल पम्प सेट इत्यादि उपक्रम या मशीनें गुणवत्ता युक्त रहेंगी, तो उन पर डीज़ल, एलपीजी या अन्य ईंधन की खपत कम होगी। हमने इनकी गुणवत्ता के कुछ मानक भी बनाए हैं। जो कम्पनियां इन मानकों को पूरा करती हैं, उन कम्पनियों को हम स्टार रेटिंग देते हैं, क्योंकि इस प्रकार के उपकरणों, स्टोव, डीज़ल पम्प सेट इत्यादि को खरीदने से ईंधन की कम खपत होती है। इससे कंज़र्वेशन भी होता है, इसी को हम स्टार रेटिंग कहते हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न यह पूछा कि केरोसिन या मिट्टी का तेल देने के लिए मानक क्या हैं? सभापति जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को इस विषय से थोड़ा अवगत कराना चाहूंगा कि मिट्टी के तेल का आवंटन एक संघीय ढांचे के आधार किया जाता है। भारत सरकार एक 'एक्स' एमाउंट राज्यों को देती है, उसके बाद किसे यह दिया जाना चाहिए, किसे मिलना चाहिए, इससे सम्बन्धित निर्णय राज्य सरकार स्वयं लेती है।

हम सब जानते हैं कि कई सालों से यह हो रहा है कि मिट्टी का तेल जिन लोगों के पास जाना चाहिए, उनके पास नहीं पहुंचता है और बाजार में ही इसका डायवर्जन हो जाता है, लीकेज हो जाती है।

सभापति जी, एक रिपोर्ट के अनुसार एक समय में इस पर 30,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती थी, जो घट कर आज 17,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। सभी जानते हैं कि इसकी डिस्ट्रिब्यूशन में लीकेज है। हमारे दोनों सदनों एवं राज्य सरकारों को मिलकर यह तय करना पड़ेगा कि इसके लिए नये मानक क्या होने चाहिए, जिससे देश के सभी गरीबों को मिट्टी का तेल कम दाम में मिल सके। किन लोगों को यह मिले और कैसे मिले, इसके लिए हम कई राज्यों से बातचीत कर रहे हैं। उनसे चर्चा करके जल्दी ही इसके लिए हम एक नई प्रक्रिया लेकर आएंगे। मिट्टी का तेल उपयुक्त लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन किन-किन लोगों को मिलना चाहिए, सभी राज्यों के साथ बातचीत करके जल्दी ही हम इस बात पर फैसला करेंगे।

Production of minerals

*107. SHRI D. KUPENDRA REDDY: Will the Minister of MINES be pleased to state:

(a) whether the mineral production of the country has increased this year in comparison to previous years, if so, the details thereof; and

(b) the details of innovative ideas being imparted to increase the mineral production and to generate employment in this sector?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES (SHRI VISHNU DEO SAI): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) According to new series of the Gross Domestic Product, the Gross Value Added (GVA) by the mining and quarrying sector at constant prices (2011-12) is increasing in comparison to previous years, as indicated below:

Mineral	2012-13 (NS)	2013-14 (NS)	2014-15(AE)
GVA of Mining and Quarrying Sector (at constant Prices) (in ₹ crore)	262253	276380	282605

NS: New Series Estimates. *AE:* Advance Estimates.
Source: Central Statistical Office.

(b) The Government has amended the Mines and Minerals (Development and Regulation) (MMDR) Act 1957, through the MMDR Amendment Act 2015 with effect from 12.1.2015, to address the constraints faced by the mining and quarrying sector. The amendments in the MMDR Act, 1957 will give impetus to the mining sector by:

(i) removing discretion in grant of mineral concessions, as mineral concessions will be granted through auctionby competitive bidding;

(ii) allowing opening of mines which were closed due to pendency of decision on applications for second or subsequent renewal through extension of validity of lease period of the existing leases;

(iii) providing security of tenure of mining lease period with auniform lease period of 50 years;

(iv) simplification of procedure, and removal of delay by eliminating requirement of prior approval of Central Government for grant of mining lease through auction;

(v) establishment of National Mineral Exploration Trust, a dedicated fund to encourage exploration to augment mineral resources;

(vi) allowing easy transferability of mineral concessions granted through auction, which would facilitate investments in to the mining sector;

(vii) safeguarding the interest of mining affected persons through establishment of District Mineral Foundation, which will work for the interest and benefit of persons, and areas affected by mining related operations.

The Central Government has further empowered State Governments in respect of 31 minerals, which have been notified as ‘minor’ minerals on 10.2.2015, for regulation of grant of mineral concessions and for purposes connected therewith.

SHRI D. KUPENDRA REDDY: Regarding the safety, health and welfare of the persons employed in mines, in reply to U.Q. No.1070, dated 4th March, 2015, the Minister has stated that no specific provision had been made in the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 which was recently amended and passed by the Parliament. However, I would like to know from the Minister whether any review of the provisions of the Act was made in the context of the safety, health and welfare of the persons employed in mines. If so, details thereof?

श्री नरेंद्र सिंह तोमर : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने मजदूरों की सुरक्षा के बारे में प्रश्न पूछा है, लेकिन मजदूरों की सुरक्षा का सम्बन्ध श्रम विभाग के कानूनों के अंतर्गत आता है। भारत सरकार खान मजदूरों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह सजग और सचेत है। कानून में इसके लिए प्रावधान भी किए गए हैं और उन पर अमल भी किया जाता है।

SHRI D. KUPENDRA REDDY: The Select Committee on Mines and Minerals (Development and Regulation) Bill had recommended to consider the issues like impact of mining activities on the environment, illegal mining, lack of proper and scientific mine closure, etc., for incorporating the same in the MMDR Act, 1957. What are the steps being taken by the Central Government on this issue? What are the steps being taken to prevent illegal mining in this country?

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, जब खनन होता है, तो निश्चित रूप से क्षेत्र पर भी उसका प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए, जब हम लोगों ने इस बार MMDR Act का संशोधन किया, तो DMF का प्रावधान उसमें लाये। हर जिले में District Mineral Foundation गठित किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इस District Mineral Foundation में केंद्र सरकार जो राशि अधिसूचित करेगी, वह राशि होगी, लेकिन वह दो भागों में विभक्त है। जो mines auction में जायेंगी, उनमें एक-तिहाई से अधिक राशि अधिसूचित नहीं की जा सकती और जो मौजूदा माइन्स पहले से चल रही हैं, उनमें रॉयल्टी के बराबर की राशि भी अधिसूचित की जा सकेगी। अब DMF बनने के बाद निश्चित रूप से इस प्रकार की जो सदस्य की चिन्ता है, उसको दूर करने में हम और सफल होंगे।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Sir, the hon. Minister is gracious enough to record the steady mineral production during the UPA regime. His answer indicated that in 2012-13, minerals worth ₹ 2,60,000 crores and in 2013-14, minerals worth ₹ 2,76,000 crores have been in production. I would like to focus on one point which is being neglected regularly, that is, the non-metallic minerals. India has the monopoly in the production of mica. We have several other minerals like limestone, dolomite, gypsum and atomic minerals as well; whereas mica or *abhrak* is having medicinal value as well as insulation capacity to utilize the electric appliances. Earlier, in 1960s and 1970s, we used to have a great level of production and we were the largest exporters to cater to the global needs. But in the recent years, due to the negligence in attaining proper instruments and machines, the production of

non-metallic minerals has decreased. Is the Union Government envisaging acquiring reasonable and scientifically developed equipments, tools and instruments to have the steady production of non-metallic minerals?

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है। निश्चित रूप से यह सच है कि पिछले दिनों खनन का कारोबार काफी ठहराव की स्थिति से गुजरा है, यद्यपि ईंधन खनिजों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन धात्विक खनिजों में थोड़ी सी गिरावट आयी है। सरकार ने जब MMDR Act में संशोधन का बिल प्रस्तुत किया था, तब भी सदस्यों की यह चिन्ता थी और उस चिन्ता का समाधान हम लोगों ने किया था कि वर्तमान परिवेश में खनिजों के दोहन को राष्ट्रहित में पूरा करने के लिए निश्चित रूप से इसे आज की टेक्नोलॉजी से और साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए। सरकार उसके प्रबंध करने के लिए पूरी तरह सजग है और आगे उसके परिणाम सामने आयेंगे।

SHRI K. T. S. TULSI: Sir, I wish to submit that to a very straightforward question 'whether the mineral production of the country has increased this year', there is an extremely complex, qualified answer. There are three qualifications in the answer. The first is, 'new series of Gross Domestic Product'. I do not know what the new series is. The second is, 'the Gross Added Value by the mining and quarrying sector at constant prices'. Now the whole purpose is to conceal more than what is to be revealed. I would like to know from the hon. Minister whether it is a fact that a large part of the mineral sector has shown a negative growth. Limestone has a negative growth of 1.5 per cent. Petroleum, -1.9 per cent; Bauxite, -4.2 per cent; Diamond, -7.9 per cent; Natural Gas, -8.2 per cent; Phosporite, -11.7 per cent; Iron Ore, -13.4 per cent; Gold, -14.6 per cent; Copper -21.1 per cent.

MR. CHAIRMAN: What is the question?

SHRI K. T. S. TULSI: What I am submitting is that I do not know whether these qualifications are to mislead the House because sector after sector has shown negative growth and the answer says that it has grown at constant prices by taking into account new series of Gross Domestic Product, etc. Let the hon. Minister explain whether more than 20 sectors in minerals are showing negative growth and yet the answer says 'positive growth'.

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, तुलसी साहब बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं सरकार की ओर से उनको बताना चाहता हूँ कि किसी भी आंकड़े को दर्शा कर सदन को गुमराह करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है और नकारात्मक वृद्धि को हम सकारात्मक दिखाएं, इसका भी कोई कारण नहीं है, क्योंकि यह सदन इसलिए है कि जो नकारात्मक चीजें हैं, वे भी इस समय सरकार के सामने आएं, सरकार उनसे सबक ले और उन पर संज्ञान लेकर आगे बढ़े ताकि इनमें सुधार किया जा सके। मैंने पूर्व में ही कहा कि जो ईंधनी क्षेत्र है, उसमें निश्चित रूप से वृद्धि है, लेकिन जो धात्विक क्षेत्र है, उसमें गिरावट है और गैर-धात्विक क्षेत्र में बढ़ोतरी है।

सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है, उसके अनेक कारण हैं, वे तुलसी साहब की जानकारी में भी हैं। पिछले दिनों पांच साल तक जो परिस्थिति रही, उसके कारण बहुत सारे खनिजों का उत्पादन बंद हुआ, खदानें निलंबित की गईं और उसके कारण एमएमडीआर एक्ट के संशोधन में आना पड़ा। आप सब लोगों के सहयोग से वह संशोधन बिल पारित हुआ है। अब रास्ते खुल गए हैं और आने वाले कल में उसके सकारात्मक परिणाम आपको दिखेंगे। यह मैं विनम्रता से सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ।

SHRIMATI KANIMOZHI: Sir, essays of eminent photo journalists provide proof that children as young as eight years old are being made to work under perilous conditions as they are lowered down in rat holes and shafts which are so small that even kneeling is impossible. And miners dig thousand feet horizontally in unsupported seams with no protective gear. What measures have been taken by the Government to ensure safety and welfare of miners who live in deplorable conditions and to prevent the prevalence of child labour in mines?

श्री नरेंद्र सिंह तोमरः माननीय सभापति महोदय, बच्चों के लिए कानून बना हुआ है और निश्चित रूप से उसका पालन होता है। खनन के क्षेत्र में भी खतरनाक उद्योग चिन्हित हैं, उनमें किसी भी प्रकार से बच्चे को काम करने के लिए अनुमति का प्रावधान नहीं है। यदि सदस्या की जानकारी में किसी स्थान पर ऐसी परिस्थिति है, तो वे उसको मेरे संज्ञान में लाएं, मैं इस संबंध में श्रम मंत्रालय को भी अवगत कराऊंगा, उस पर कार्रवाई कराऊंगा और खनिज विभाग को इस पर जो करना होगा, वह भी हम करेंगे।

Strategy to attract foreign tourists

*108. SHRI VIJAY JAWAHARLAL DARDA: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government has planned any strategy to attract more foreign tourists in the country in the coming years;

(b) if so, the details thereof and what kind of infrastructural changes have been made in this regard in the country; and

(c) whether Government has planned to boost building of more budget hotels in the strategic locations including at the places where Buddhist and Jain places of worship are located, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TOURISM (DR. MAHESH SHARMA): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) The Ministry of Tourism (MoT) promotes India as a holistic destination and as part of its on-going activities, annually releases print, electronic,